न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 21 / 2024

अनवान : –

1. मैनावती पुत्री कृष्ण कुमार जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 24/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 29 / 36 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 30 / 33 की कुल 0.6320 हैक्ट भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम मनीता पुत्री कृष्ण कुमार है जो की गलत है प्रार्थीया का वास्तविक व सही नाम मैनावती पुत्री कृष्ण कुमार है जो की प्रार्थीया के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र दर्ज है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के नाम प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में मनीता पुत्री कृष्ण कुमार के स्थान पर मैनावती पुत्री कृष्ण कुमार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का मुताबिक दस्तावेज पता दुरूस्त करे देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का नाम मैनावती पुत्री कृष्ण कुमार है जबकि राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मनीता पुत्री कृष्ण कुमार दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थीया के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम मैनावती पुत्री कृष्ण कुमार दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 29/36 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 30/33 की कुल 0.6320 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीया अपना नाम मनीता पुत्री कृष्ण कुमार के स्थान पर मैनावती पुत्री कृष्ण कुमार दर्ज करवाना चाहती है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम मैनावती पुत्री कृष्ण कुमार अंकित है तथा प्रार्थीया द्वारा अपने नाम के संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया गया है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 29/36 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 30/33 की कुल 0.6320 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम **मनीता पुत्री कृष्ण कुमार के स्थान पर मनीता उर्फ मैनावती पुत्री कृष्ण कुमार का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीया के नाम मनीता पुत्री कृष्ण कुमार के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थीया के नाम मनीता पुत्री कृष्ण कुमार के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम मनीता पुत्री कृष्ण कुमार लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/06/26..... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2024 / 665 दिनांक : 26/06/24

तहसीलदार,
नोहर।

विषय :— प्रकरण स0 21 / 2024 अनवानी मैनावती बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या — 21 / 2024
अनवान : —

1. मैनावती पुत्री कृष्ण कुमार जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

—प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 29 / 36 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 30 / 33 की कुल 0.6320 हैक्ट भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम **मनीता पुत्री कृष्ण कुमार के स्थान पर मनीता उर्फ मैनावती पुत्री कृष्ण कुमार का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीया के नाम मनीता पुत्री कृष्ण कुमार के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थीया के नाम मनीता पुत्री कृष्ण कुमार के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम मनीता पुत्री कृष्ण कुमार लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर